न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–81 / 12 (2012 / 00050) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–अमर सिंह आत्मज चतर सिंह राजपूत निवासी नान्दशाजागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–धनसिंह आत्मज फतेहसिंह राजपूत निवासी नान्दशाजागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–चैनसिंह आत्मज फतेहसिंह राजपूत निवासी नान्दशाजागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

1–लक्ष्मणसिंह आत्मज चतरसिंह राजपूत निवासी नान्दशाजागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–गोकलसिंह आत्मज चतरसिंह राजपूत निवासी नान्दशाजागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट</u>.

उपस्थित

1–मनीष — अधिवक्ता प्रार्थी
2–फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 05 के परिवार का सजरा निम्न है :–

चतरसिंह (फोथ)
|
———————————————————————————————————
| | | |
फतेहसिंह (फोथ) अमरसिंह वादी लक्ष्मणसिंह प्रति.स.4 गोकलसिंह प्रति स. 5
|
————————————————
| |
धनसिंह प्रतिसं.1 चेनसिंह प्रतिसं. 2

ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता फतेहसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार निम्न आराजियात स्थित थी जिनका विवरण निम्न है साबिक आराजी संख्या 35मी रकबा

25 बिघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 36मी रकबा 04 बिघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 37 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 157 रकबा 1 बिघा, आराजी संख्या 341 रकबा 1 बिघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 342 रकबा 02 बिघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 343 रकबा 01 बिघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 344 रकबा 01 बिघा, आराजी संख्या 1208 रकबा 04 बिघा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 1237 रकबा 01 बिघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1238 रकबा 02 बिघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1239 रकबा 02 बिघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 1240 रकबा 01 बिघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 1241 रकबा 01 बिघा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 1242 रकबा 02 बिघा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 1244 रकबा 01 बिघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 1245 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1246 रकबा 01 बिघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 1247 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 254 रकबा 02 बिघा 1 बिस्वा, स्थित थी उक्त सामलाती नम्बरान मे आराजी संख्या 35मी रकबा 25 बिघा 16 बिस्वा, मे से 2 बिघा तथा आराजी संख्या 36मी रकबा 04 बिघा 14 बिस्वा मे से 02 बिघा 8 बिस्वा गंगापुर से रायपुर जाने वाली सड़क में मर्ज कर दी गई तथा दोना आराजियात का रकबा 4 बिघा 8 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई जिससे सामलाती खाते में 35मीन रकबा 23 बिघा 16 बिस्वा तथा आराजी संख्या 36मीन रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा शेष सामलाती बदस्तुर रही। उक्त वर्णित नम्बरान की आराजियात में वादी अमर सिंह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता फतेहसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/4–1/4 हक व हिस्सा हो इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी व है और इसी हक व हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी 1 व 2 के पिता फतेहसिंह तथा विपक्षी संख्या 4 लगायत 5 मौके पर काबिज हो कास्त करते चले आ रहे है। वाद की धारा 2 में वर्णित सामलाती साबिक नम्बरान की आराजियात का आपसी सहमति से सदैव से चले आ रहे कब्जे अनुसार बंटवारा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के स्व. पिता श्री फतेहसिंह तथा विपक्षी संख्या 4 लगायत 5 ने कर लिया और इस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपने अपने हक व हिस्से में आई आराजियात का खाता अलग अलग कर दर्ज कराने हेतु इस बाबत् एक इकरार भी आपसी सहमति से हुये बंटवारे निष्पादित करा तहसील रायपुर में पेश किया जिसमें राजस्व जमाबन्दी 2032 से 2035 सहमति से बंटवारे से 1/4, 1/4 हिस्से से चारो संयुक्त खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी 1 व 2 के पिता फतेहसिंह व विपक्षी संख्या 4 व 5 को अलग अलग खातेदार जमाबन्दी में घोषित कर दिया गया तथा वाद कार्यवाही इंतकाल संख्या 797 दिनाकिंत 30.09.77 खोल फैसल किया गया है जिस अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के स्व. पिता फतेहसिंह तथा विपक्षी संख्या 4 लगायत 5 के हक व हिस्से में निम्न नम्बरान की आराजियात रही है उस संयुक्त बंटवाड़े के अनुसार इन्तकाल में प्रार्थी के नम्बरो को राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा गलत नंबर व रकबा अंकित कर दिया गया जिसका राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो को ऐसा करने का अधिकार नही है। राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो को स्वीकृत सुदा नामान्तरणकरण 997 का आगे बनने रोटेशन की जमाबन्दी में अंकन करना चाहिये था जो न कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दी और नवीन सेटलमेन्ट में प्रार्थी के नाम हाल आराजी नम्बर 406, 407, 408 रकबा 1.41 है0 दर्ज दी जबकि प्रार्थी का कब्जा हाल आराजी नम्बर 332, 333, 334, 335, 336 रकबा 1.41 है0 पर ही कब्जा चला आ रहा है। हाल आराजी नम्बर 406, 407, 408 प्रार्थी का कोई कब्जा नही है विपक्षी 1 व 2 के पिता फतेहसिंह ओर उनके निधन के पश्चात विपक्षी 1 व 2 का ही चला आ रहा है। बंटवाड़ा अनुसार आराजी नम्बर 406, 407, 408 के स्थान पर 332, 333, 334, 335, 336 का

खातेदार कृषक होने की घोषणा फरमाई जाना न्यायोचित है। प्रार्थी 30 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। दिनांक 17.04.2012 को प्रार्थी द्वारा विवादित आराजियात की जमाबन्दी नक्षा ट्रेस लेने से प्राप्त हुई अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद के निर्णय तक विपक्षी संख्या 1 व 2 इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि राजस्व ग्राम नान्दशा की हाल आराजी संख्या 332, 333, 334, 335 व 336 कुल किता 5 रकबा 1.41 है0 जिन पर वादी का कब्जा चला आ रहा है के कब्जे काश्त के उपयोग में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 2 कोई किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप नही करे न अन्य से करावें, न ही किसी भू भाग को किसी के माध्यम से किसी को खुर्द बुर्द न तो स्वयं करें न अन्य से करावें व न बैंक अथवा सोसायटीज से श्रण ले भार युक्त ही करे व करावें, के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 2 सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी की और से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना को निरस्त करने का निवेदन किया गया

प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र काफी पुराना है प्रकरण का मुल वाद विचाराधीन है ओर मुलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना न्याय हित मे होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम नान्दशा के बैरून हल्के आबादी में स्थित हाल आराजी नम्बर 332, 333, 334, 335, 336 रकबा 1.41 है0 भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.1.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 18:07:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: